निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या :186/2022 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. श्रीमती शशिकंवर धर्मपत्नी स्व॰ श्री बीरसिंह जाति राजपूत निवासी हनुमान निवास बाग, कस्बा शाहपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।
2. दिलीप सिंह पुत्र स्व॰ श्री बीरसिंह जाति राजपूत निवासी हनुमान निवास बाग, कस्बा शाहपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री मनमोहन मीणा आर॰ए॰एस॰ पीठासीन अधिकारी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक शाहपुरा, जिला जयपुर ।
2. शम्भू दयाल पुत्र श्री सीताराम
3. नानग राम पुत्र श्री मालीराम
4. मुरलीधर
5. हरफूल
6. बाबूलाल
7. गोदाराम

पुत्रान श्री बंशीधर

8. बंशीधर
9. मालीराम

पुत्रान श्री सीताराम

जाति जाट, निवासी करणी सागर , चिमनपुरा, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 233 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक शाहपुरा, के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 34/2016, अस्थाई निषेधाज्ञा की पत्रावली संख्या 35/2013 व 36/2016 ब उनवानी शशि कंवर बनाम सरकार व अन्य तथा पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र को अग्रिम सुनवाई हेतु अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः—

1. श्री संदीप शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री रामचन्द्र शर्मा अधिवक्ता मैसर्स मंगलम बिल्ड डवलपर्स लि॰ की ओर से।

निर्णय **दिनांक 01.11.2022**

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक शाहपुरा के समक्ष प्रकरण संख्या 34/2016, अस्थाई निषेधाज्ञा की पत्रावली संख्या 35/2013 व 36/2016 ब उनवानी शशि कंवर बनाम सरकार व अन्य तथा पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र विचाराधीन है, जिसमें

जिला कलक्टर
जयपुर

पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय मे अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।

2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक शाहपुरा से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। प्रकरण में मैसर्स मंगलम बिल्ड डवलपर्स लि॰ की ओर से वकील श्री रामचन्द्र शर्मा ने उपस्थित हो कर जबाब पेश किया ।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया कि दिनांक 18.05.2022 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निर्णय दिनांक 11.05.2017 के विरूद्व एक नजरसानी याचिका प्रस्तुत की गई जिसमें ना तो पक्षकारों के नाम व पते अंकित किये गये और ना ही कोई न्याय शुल्क ही अदा किया गया था। उक्त नजरसानी याचिका के माध्यम से दिनांक 08.03.2013 को प्रसारित अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जिसे 11.5.2017 को दावे के निर्णय तक कन्फर्म किया गया है, को निरस्त करवाने का अनुतोष चाहा गया है जो कि विधिनुसार सम्भव नहीं है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि नजरसानी याचिका के साथ कोई शपथ पत्र नहीं है ना ही न्याय शुल्क प्रस्तुत किया गया, ना ही नजरसानी याचिका को पृथक से दर्ज कर किसी भी पक्षकार को कोई सम्मन ही जारी किया गया तथा विधि के समस्त सुस्थापित सिद्वान्तों एवं राजस्व न्यायालय नियमावली में वर्णित बाध्यकारी प्रावधानों को नजर अन्दाज करते हुए उक्त पुनर्विलोकन याचिका की नकल प्रार्थीगण के अधिवक्ता को दी जाकर उसे गुणावगुण पर निर्णित करने हेतु नियत फरमा दिया और पीठासीन अधिकारी ने दिनांक 18.08.2022 को आदेशिका में दोनों पक्षों की बहस सुनी जाना अंकित करते हुये निर्णय हेतु दिनांक 29.08.2022 की पेशी अंकित कर दी । दिनांक 29.08.2022 को जब प्रार्थी संख्या दो अपने अधिवक्ता के साथ अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ तो उस समय पीठासीन अधिकारी अपने चैम्बर में अप्रार्थी मालीराम के साथ अपने कक्ष में बैठ हुए थे। रीडर द्वारा जब पीठासीन अधिकारी को प्रार्थी एवं उसके अधिवक्ता के उपस्थित होने की सूचना चैम्बर में जाकर दी तो अप्रार्थी संख्या 9 बडी तेजी से उनके चैम्बर से बाहर निकला और जाते जाते प्रार्थी को यह धमकी दी कि शीघ्र ही निषेधाज्ञा आदेश खत्म हो जायेगा और हम भूमि पर कब्जा करके बताऐंगें। अधीनस्थ न्यायालय के कार्यवाहक पीठासीन अधिकारी ने भी कोर्ट में आ कर पत्रावली को तलब किये बिना ही प्रार्थी संख्या दो एवं अधिवक्ता से मुखातिब होकर कहा कि आगामी दिनांक 02.09.2022 को वे दिनांक 11.05.217 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त कर देंगे। जब मेरे अधिवक्ता ने बहस सुने बिना ही निर्णय प्रसारित करने की बात का विरोध किया तो पीठासीन अधिकारी नाराज हो गये ओर रीडर को पत्रावली पर आदेशिका अंकित करने की हिदायत दे कर उठ कर चले गये। अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत की गई नजरसानी याचिका आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा को गुणावगुण पर अंतिम रूप से निर्णित किये जाने के पांच वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई है जो प्रथम दृष्टया ही संधारण योग्य ही नहीं है, किन्तु फिर भी पीठासीन अधिकारी समस्त न्यायिक प्रकिया एवं न्याय प्रणाली में वर्णित प्रावधानों को नजर अन्दाज करते हुए उक्त आवेदन को स्वीकार कर अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश को निरस्त कर अप्रार्थीगण को अनुचित लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहे है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

जिला कलक्टर
जयपुर

5. प्रकरण में दिनांक 11.10.2022 को प्रार्थी मैसर्स मंगलम बिल्ड डवलपर्स लि॰ द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आदेश 1 नियम 10 सी॰पी॰सी॰ के द्वारा आवश्यक पक्षकार बना है। इसके बावजूद प्रार्थी को मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में आवश्यक व प्रोपर पक्षकार नहीं बनाया गया है और मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के समर्थन में जो शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है, वह ऑथ कमिश्नर/नोटरी से सत्यापित नहीं है। चूंकि प्रार्थीगण द्वारा पीठासीन अधिकारी पर आरोप लगाये गये है, इसलिए न्यायहित में इस प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरण कर दिया जावे तो कोई एतराज नही है।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. यद्यपि सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक शाहपुरा के पीठासीन अधिकारी ने आरोपों का खण्डन किया है, किन्तु प्रार्थीगण ने सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक शाहपुरा के पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने पर शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने का अनुरोध किया है। न्याय का नैसर्गिक सिद्धान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। मैसर्स मंगलम बिल्ड डवलपर्स लि॰ के अधिवक्ता भी उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय मे स्थानान्तरित किये जाने पर सहमत है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

8. सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक शाहपुरा के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 34/2016, अस्थाई निषेधाज्ञा की पत्रावली संख्या 35/2013 व 36/2016 व उनवानी शशि कंवर बनाम सरकार व अन्य तथा पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र को न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय में स्थानान्तरित किया जाता है। पक्षकारान दिनांक 21.11.2022 को न्यायालय सहायक कलक्टर द्वितीय में उपस्थित हो।

9. सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय प्रकरण दर्ज कर पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का मैरिट पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

10. निर्णय की प्रति सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक शाहपुरा एवं सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय को प्रेषित हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

11. निर्णय आज दिनांक 01.11.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर